न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/16/2017

उनवान

1. श्री घीसा पुत्र सुखदेव गुर्जर निवासी आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री बालू पिता श्रीराम गुर्जर निवासी आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती लादी पत्नी घीसा गुर्जर निवासी आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती अमरी पुत्री घीसा पत्नी भोमा गुर्जर निवासी भगवानपुरा उर्फ डोइ का खेड़ा पटवार मण्डल आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 159/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश तिवाड़ी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मोहम्मद निसार अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं01 से 3
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी की ग्राम आगूचा नवसृजित ग्राम मूणजी का खेड़ा तहसील हुरड़ा की साबिक आराजी नम्बर 90/1 श्रीराम पुत्र भोला 3/4 भूरा, नन्दा पुत्र भागीरथ

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1/4 जाति गुर्जर निवासी आगूचा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त खातेदारान की मृत्यु के बादउनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण बहैंसियत वारिसानअपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार है–

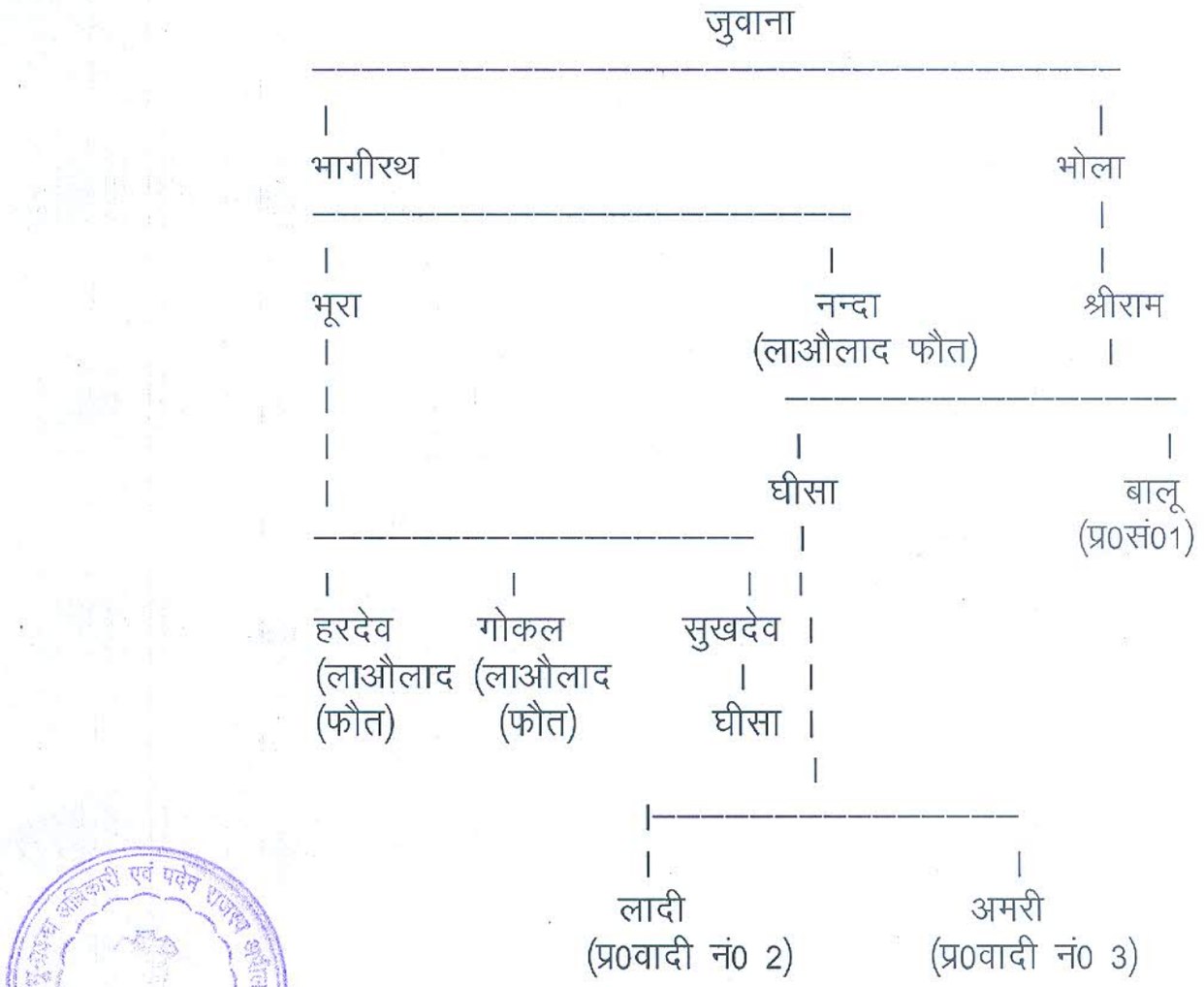

वाद पत्र की चरण संख्या 01 में अंकित आराजीयात तहसील हुरड़ा में भूप्रबन्ध हो जाने के बाद नवीन आराजी नम्बर 343 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा कायम किया गया।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. यह कि भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान खसरा मिलान सम्वत् 2022 तैयार किया जिसमें साबिक आ0नं0 90/1 के हाल नम्बर 343 को बिना किसी कानूनी अधिकार के वादी के बलियत भूरा, नन्दा पिता भागीरथ गुर्जर का 1/4 हिस्सा को हटाया जाकर कुलिया आराजीयात प्रतिवादीगण के बलियत श्रीराम पुत्र भोला के नाम कायम कर दी गई जो मौके कब्जे काश्त की स्थिति के अनुसार गलत होकर काबिल दुरूस्ती के होकर आराजी जैर बहस 343 रकबा 1/4 वादी के बलियत के नाम दर्ज होकर उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस वादी के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए।

3. यह कि आए दिन जमीन को जोतने, फसल बोने में वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच आये दिन मनमुटाव, आपसी तनाव बना रहता है जिसे आराजी जैर बहस खसरा नम्बर 343 का माफिक वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बटवाड़ा किया जाना आवश्यक है। वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 21.02.2012 को राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करने के लिये कहा गया तो प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 21.02.2012 को वादी को कहा कि दुरूस्ती कोर्ट के द्वारा करा लेवे जिससे बिनायवाद सेटलमेन्ट के गलत इन्द्राज से पैदा हुई व हो रही है। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में माफिक कब्जे काश्त के आ0नं0 343 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा खाते से हटाया जाकर वादी के खाते में दर्ज कराये जाने एवं इसी अनुसार बटवाड़ा करा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादी के 1/4 हिस्से व कब्जे की आराजी में नाजायज तौर से हस्तक्षेप करने, कराने व उक्त आराजीयात दीगर को अन्तरित व उसका पंजीयन करने से कराने से रूके रहें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. वादी/अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए व 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 16.05.2012 को प्रस्तुत किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 16.05.2012 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी कर आगामी सुनवाई की तारीख 28.5.2012 नियत की गई। दिनांक 28.05.2012 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता के द्वारा अधिकारपत्र प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 11.09.2012 को जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया कि श्रीराम पुत्र भोला गुर्जर निवासी आगूचा के द्वारा भूप्रबन्ध अधिकारी अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सन् 1973 में प्रस्तुत किया जिसमें आ0नं0 343 में श्रीराम के साथ गलती से छोगा, गोकल, हरदेव, सुखदेव पिता भूरा व नंदा पुत्र भागीरथ का नाम दर्ज होने से उसको हटाने बाबत दिया जिसकी पत्रावली कायम कर पत्रावली संख्या 1653/73 पर दर्ज कर नोटिस जारी किये गये जिसके तहत दिनांक 31.05.1973 को वादी के पिता सुखदेव के द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर गलती से दर्ज होना स्वीकार किया व नाम हटाने की प्रार्थना की जिसके तहत श्रीराम के अकेले के आराजी नं0 343 दर्ज की गई। उक्त आराजी पर श्रीराम के जीते जी उसका व उसकी मृत्यु उपरान्त उसके वारिसों का कब्जा कास्त व उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक चला आ रहा है। राजस्व विभाग के द्वारा जारी पास बुक दिनांक 19.07.76 जिसमें खाता सं. 368 श्रीराम पुत्र भोला गुर्जर निवासी आगूचा के नाम है पासबुक में आ0नं0 343 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा अंकित है जिसे करीब 35 वर्ष हो चुके हैं। वादी का पिछले 35–36 सालों से उक्त आराजी पर कब्जा नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होने के कारण धारा 63 रा0का0अधिनियम के तहत वाद चलने योग्य नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का उक्त आराजी पर कभी कब्जा रहा ही नहीं तो बटवाड़ा कराने व फसल कास्त करने में कोई दिक्कत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे एवं वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। काउन्टर क्लेम के जवाब में वादी ने जवाबबुल जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में तथ्य साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 21 से भलीभांति सिद्ध होता है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के साबिक आ0नं0 90/1 श्रीराम पिता भोला 3/4, भूरा, नन्दा पिता भागीरथ 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है एवं उनकी मृत्यु के बाद आराजीयात जैर बहस के 1/4 हिस्से पर वादी जरिये वारिस काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। भूप्रबन्ध विभाग को ओरिजनल प्रविष्टि को बदलने और नई प्रविष्टि बनाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा भूप्रबन्ध विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना परिवर्तन या हटाने का अधिकार नहीं है। भूप्रबन्ध विभाग को केवल प्रविष्टियां दोहराने का अधिकार है इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा की गई तमाम कार्यवाही प्रारम्भ से ही शुन्य है। वादी अथवा वादी के पिता द्वारा भूप्रबन्ध विभाग सेटलमेन्ट ऑफिसर को किसी भी तरह का प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और न किसी भी कागजाद पर हस्ताक्षर किये गये हैं। अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अस्वीकार फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी के वाद को खारिज किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी के द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी संख्या 1 से लगायत 6 को पूर्ण रूप से दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादी के पक्ष में साबित होते हुए भी मनमकसूद तौर पर साक्ष्यों व दस्तावेजों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। वादी/अपीलाण्ट के द्वारा साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 21 प्रदर्श–1 से यह तथ्य पूरी तरह साबित हुआ है कि वादग्रस्त आराजीयात सेटलमेन्ट पूर्व से ही वादी/अपीलान्ट के पूर्वज भूरा व नन्दा के नाम 1/4 हक हिस्से से दर्ज चली आ रही थी। भू प्रबन्ध अधिकारियों के द्वारा अपीलाण्ट के पूर्वज का नाम खातेदारी से हटा दिया जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है खातेदारी अधिकारों का अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता है इस विधिक स्थिति को माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं समझा और उक्त तनकियों का निर्णय वादी के खिलाफ कर गम्भीर त्रुटी की है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी संख्या 7 अनुतोष में यह वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व श्रीराम पिता भोला 3/4 हक हिस्सा, भूरा, नन्दा पिता भागीरथ 1/4 हक हिस्से से दर्ज चली आ रही थी। श्रीराम पिता भोला के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि साबिक आराजीयात अकेले श्रीराम या उनके पूर्वजों के नाम रही हो बल्कि साबिक आराजी वादी के पूर्वजों के 1/4 हक हिस्से से दर्ज चली आ रही थी फिर भी सेटलमेन्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर खातेदारान का नाम हटा दिया जबकि उन्हें किसी भी खातेदार का नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण / प्रत्यर्थीगण का काउन्टर क्लेम किसी प्रकार से साबित नहीं होते हुए भी स्वीकार करने में गम्भीर त्रुटी की है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा 2008(1)आरआरटी 151 माननीय उच्च न्यायालय गीगाराम व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं0 2947 / 2002 निर्णय दिनांक 23.07.2007 का विधिक उद्धरण प्रस्तुत किया है।

8. रेस्पोडेन्टगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि भू प्रबन्ध विभाग के सेटलमेन्ट ऑफिसर अजमेर के द्वारा पूर्ण सुनवाई कर विधिवत पत्रावली कायम करते हुए निर्णय पारित किया जाकर आ0नं0 343 में भूरा, नन्दा के 1 / 4 हिस्से को स्वयं सुखदेव के द्वारा उपस्थित होकर हटाया जाकर अकेले श्रीराम का नाम खाता दर्ज किए जाने की सहमति दिए जाने पर खाता श्रीराम के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया जो विधिसम्मत है। आ0नं0 343 पर कभी भी अपीलार्थी का कब्जा काश्त नहीं है जिससे वह बटवाड़ा कराने एवं हमारे विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई के पश्चात तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

9. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकित सजरे को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। ग्राम मुणजी का खेड़ा तहसील हुरड़ा की साबिक आ0नं0 90 / 1 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा प्रदर्श पी–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 21 में श्रीराम पिता भोला 3 / 4 भूरा–नन्दा पिता भागीरथ 1 / 4

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गूजर सा0देह दर्ज है। साबिक आराजी नम्बर 90/1 के प्रदश–पी3 खसरा भूप्रबन्ध सम्वत 2022के अनुसार हाल आराजी नम्बर 343 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा बने जो श्रीराम पिता भोला 3/4 भूरा, नन्दा पिता भागीरथ 1/4 सा0देह गूजर के बजाय अकेले श्रीराम पिता भोला सा0देह गूजर के नाम दर्ज किए जाना स्पष्ट होता है। इसकी पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रार्थनापत्र दिनांक 31.05.1973 को श्रीराम पिता भोला गूर्जर के द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी जी सा0 सेटलमेन्ट ऑफिसर सा0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली संख्या 1683/73 कायम की जाकर मु0आगूचा पर सुनवाई हेतु रखी गई। प्रार्थनापत्र में अंकित किया कि खसरा नम्बर 343 में गलत नाम लिखे जाने से दुरूस्ती की मांग की । इस पर सुखदेव ने उपस्थित होकर बताया कि वर्तमान आ0नं0 343 में हरदेव, सुखदेव पिता भूरा व नन्दा पुत्र भागीरथ का एक मात्र वारिस मैं हूं तथा इस भूमि में हमारा कब्जा कास्त व बन्ट नहीं है। आ0नं0 343 अकेले श्रीराम पुत्र भोला गूजर के नाम लिखने की सहमति प्रकट करता हूं। सहमति से वर्तमान ख0नं0 343 पर हरदेव, सुखदेव पिता भूरा व नन्दा पुत्र भागीरथ 1/4 का नाम खारिज किया जाकर पूरा भाग श्रीराम पुत्र भोला कोम गूजर सा0देह के नाम लिखने की स्वीकृति दी जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के आधार पर खसरा संख्या 343 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा श्रीराम के दर्ज हुई। श्रीराम के फौत होने पर उक्त आराजी श्रीराम के वारिसान लादी बेवा घीसा , अमरी पुत्री घीसा व बालू पिता श्रीराम गूजर सा0आगूचा खातेदार दर्ज हुई जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 से स्पष्ट होता है। अपीलार्थी के द्वारा आराजी नम्बर 90/1 से अन्य कोई आराजीयात बनने के सम्बन्ध में कोई मिलान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खसरा या खसरा भूप्रबन्ध की प्रति प्रस्तुत नहीं की है एवं आराजी नम्बर 343 पर कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। आराजी नम्बर 343 श्रीराम पिता भोला के नाम पर सन्1973 में स्वयं अपीलार्थी के पिता की सहमति से अंकित हुई जिसके अनुसार श्रीराम पिता भोला गूजर साकिन आगूचा के नाम पर राजस्व विभाग के द्वारा खाता संख्या 368 की पासबुक दिनांक 19. 07.1973 को जारी की गई जिसमें आ0नं0 343 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात कीता 8 रकबा 94 बीघा के साथ अंकित है। जिसकी फोटो प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत होकर प्रदर्श डी–1 है। अपीलार्थी एवं इनके पूर्वजों के द्वारा सन् 1973 से लेकर आदिनांक तक भूप्रबन्ध कार्यवाही के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं किया जाना प्रकट होता है। वादी/अपीलार्थी के द्वारा 35 वर्ष पश्चात यह वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है परन्तु इसमें अंकित आराजी नम्बर 343 में स्वयं का हक हिस्सा होने एवं कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं कराया है। साबिक आ0नं0 90/1 से बनने वाले हाल नम्बरों की कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा दौराने भूप्रबन्ध कार्यवाही के आ0नं0 343 में दर्ज अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम अपीलार्थी के पिता की सहमति से हटाया गया जो विधिसम्मत माना जाता है। साबिक आ0नं0 90/1 से हाल नम्बर यदि कोई बने हों एवं उसके आधार पर बनी हाल जमाबन्दी में अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम अंकित हुआ हो वह जमाबन्दी या दस्तावेज अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि आ0नं0 343 में अपीलार्थी हक हिस्सा पाने की पात्रता रखता हो। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो विधिक दृष्टान्त 2008(1)आरआरटी 151

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

माननीय उच्च न्यायालय गीगाराम व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं0 2947/2002 निर्णय दिनांक 23.07.2007 प्रस्तुत किया है वह पूर्णतया इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

10. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 7 तनकीयात कायम की जाकर विस्तृत निर्णय पारित किया है जिसके अनुसार तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1–आया वाद ग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम आगूचा नवसृजित ग्राम मूणजी का खेड़ा में स्थित होकर जिसके साबिक आ0नं0 90/1 थे। जिसका 1/4 हिस्सा भूरा व नन्दा पिता भागीरथ के कब्जे काश्त की थी जिस पर आज भी भूरा व नन्दा के फौतकी के बाद उसके उत्तराधिकारी वादी घीसा का कब्जा काश्त निरन्तर चला आकर आज भी कब्जा काश्त है। इस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय में कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है जबकि 1995 से पूर्व खसरा गिरदावरी में जिस भूमि को जो व्यक्ति जोतता था उसी का नाम दर्ज किया जाता था जिसके आधार पर उक्त व्यक्ति अपने कब्जे के आधार पर एक खातेदार के विरूद्ध घोषणा का वाद लाकर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करता था। इस गलत प्रवृत्ति को रोकने के लिए उसके बाद से कोई भी व्यक्ति किसी भी खातेदार की भूमि पर काश्त करे लेकिन खातेदार के अलावा अन्य किसी का नाम खसरा गिरदावरी में अंकित नहीं किया जाता है। वादी के द्वारा उक्त तनकी को सिद्ध कराने के लिए अपने पूर्वजों के नाम की या स्वयं के नाम की कब्जा काश्त से सम्बन्धित कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। क्योंकि मौखिक साक्ष्य को इस दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो तनकी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी/अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णित की है उसमें हम किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

2—तनकी नम्बर 2 से लगायत 4 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ पारित किया है। उक्त तीनों ही तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादी/अपीलार्थी पर था जिसके अनुसार वादी/अपीलार्थी स्व0 भूरा व नन्दा की आराजीयात का एक मात्र वारिस होने से खातेदारी प्राप्त करने का हक प्राप्त है। साबिक आ0नं0 90/1 के नवीन नम्बर 343 कायम हुये हैं। भू प्रबन्ध की गलत कार्यवाही को दुरूस्त करवाने एवं वादी वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से को खातेदारी हक घोषणा, खाता विभाजन एवं प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त तीनों ही तनकियों को वादी/अपीलार्थी सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। क्योंकि वादी/अपीलार्थी के द्वारा मात्र नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 की जमाबन्दी प्रस्तुत की जिसमें साबिक आ0नं0 90/1 रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा भूमि श्रीराम पिता भोला 3/4 भूरा—नन्दा पिता भागीरथ 1/4 गूजर सा0देह दर्ज है। खसरा भूप्रबन्ध सम्वत् 2022 के अनुसार साबिक आ0नं0 90/1 के नवीन नम्बर 343 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा बनना स्पष्ट होता है । पत्रावली में संलग्न प्रार्थनापत्र दिनांक 31.05.1973 को श्रीराम पिता भोला गूजर के द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी जी सा0 सेटलमेन्ट ऑफिसर सा0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली संख्या 1683/73 कायम की जाकर मु0आगूचा पर सुनवाई हेतु रखी गई। प्रार्थनापत्र में अंकित किया कि खसरा नम्बर 343 में गलत नाम लिखे जाने से दुरूस्ती की मांग की । इस पर सुखदेव ने उपस्थित होकर बताया कि वर्तमान आ0नं0 343 में हरदेव, सुखदेव पिता भूरा व नन्दा पुत्र भागीरथ का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एक मात्र वारिस मैं हूं तथा इस भूमि में हमारा कब्जा कास्त व बन्ट नहीं है। आ0नं0 343 अकेले श्रीराम पुत्र भोला गूजर के नाम लिखने की सहमति प्रकट करता हूं। सहमति से वर्तमान ख0नं0 343 पर हरदेव, सुखदेव पिता भूरा व नन्दा पुत्र भागीरथ 1/4 का नाम खारिज किया जाकर पूरा भाग श्रीराम पुत्र भोला कोम गूजर सा0देह के नाम लिखने की स्वीकृति दी जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके आधार पर राजस्व विभाग के द्वारा श्रीराम पिता भोला गूजर साकिन आगूचा के नाम पर खाता संख्या 368 की पासबुक दिनांक 19.07.1973 को जारी की गई जिसमें आ0नं0 343 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात कीता 8 रकबा 94 बीघा के साथ अंकित है। जिसकी फोटो प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत होकर प्रदर्श डी–1 है। अपीलार्थी या इनके पूर्वजों के द्वारा भूप्रबन्ध विभाग के निर्णय दिनांक 31.05.1973 के विरूद्ध कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। जबकि वर्ष 1976 से श्रीराम पिता भोला के नाम व श्रीराम की मृत्यु के पश्चात इनके वारिसान लादी बेवा घीसा , अमरी पुत्री घीसा व बालू पिता श्रीराम गूजर सा0आगूचा खातेदार दर्ज हुई जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 से स्पष्ट होता है। वादी/अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादोक्त आ0नं0 343 में 1/4 हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त सिद्ध हो सके। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी संख्या 2 से लगायत 4 में पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं पाते हैं।

3–तनकी संख्या 5 व 6 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जिससे हम सहमत हैं अर्थात वादी/अपीलार्थी के पूर्वजों के समय से आदिनांक तक कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किए एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सन् 1973 से आज दिनांक तक स्वयं अपीलार्थी या इनके पूर्वज के द्वारा भी भूप्रबन्ध विभाग द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है जिसे आज लगभग 35 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पासबुक, खसरा भूप्रबन्ध सम्वत् 2022 एवं भूप्रबन्ध विभाग की पत्रावली संख्या 1683/73 तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 के आधार पर यह पूर्णतया सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजीयात संख्या 343 में वादी/अपीलार्थी का किसी प्रकार का हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त नहीं है। उक्त आराजी में वादी/अपीलार्थी अपने 1/4 हिस्से के सम्बन्ध में किसी भी दस्तावेज से सिद्ध नहीं करा पाया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से लगायत 3 के द्वारा उक्त तनकी संख्या 5 व 6 को सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहे हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयात के सम्बन्ध में पारित निर्णय से हम पूर्णतया सहमत हैं।

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया है, जिसमे वादीगण के पूर्वज सुखदेव की सहमति से आराजी नम्बर 343 के इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ववादी यह साबित करने में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सफल रहे हैं कि साबिक आ0नं0 90/1 में नन्दा पुत्र भागीरथ का 1/4 हिस्सा रहा था, परन्तु बाद सैटलमेन्ट नए बने आराजी नम्बर 343 में भी नन्दा पुत्र भागीरथ का 1/4 हिस्सा था, यह साबित करने का भार वादी का था, जिसमें वे असफल रहे हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 से प्रकट होता है कि साबिक आराजी नम्बर 90/1 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा का था, जबकि हाल आ0नं0 343 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा का है। इससे स्पष्ट है कि हाल आ0नं0 343 में साबिक आ0नं0 90/1 के अलावा भी अन्य खसरा नम्बरान का रकबा शामिल किया गया था। इससे प्रतिवादीगण की इस बात को बल मिलता है कि नन्दा पुत्र

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भागीरथ के वारिसान के अलग खाता खुलवाने के क्रम में खसरा नम्बर 343 के खाते में हरदेव, सुखदेव पिता भूरा व नन्दा पुत्र भागीरथ का नाम खारिज करवाने की सहमति दी गई। वादीगण द्वारा हरदेव, सुखदेव पिता भूरा व नन्दा पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज खातों व खसरों का विवरण नहीं दिया है तथा साबिक नम्बरान से हाल नम्बरों की तुलना करते हुए विस्तृत मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण का यह कहना कि वादोक्त हाल आराजी नम्बर 343 में उन्हें 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाय उचित नहीं कहा जा सकता। वादीगण को चाहिए था कि वे सेटलमेन्ट उपरान्त की मात्र खसरा नम्बर 343 की जमाबन्दी प्रदर्श–2 ही प्रस्तुत नहीं करते वरन हरदेव, सुखदेव पिता भूरा व नन्दा पुत्र भागीरथ के नाम की जमाबन्दी भी प्रस्तुत करते। प्रस्तुत खसरा पत्रक प्रदर्श–3 सम्पूर्ण नहीं है तथा इससे वादीगण के पक्ष में कोई स्पष्ट निष्कर्षण नहीं हो सकता है। मात्र कयास के आधार पर वादीगण के पक्ष में खातेदारी उद्घोषणा जारी नहीं की जा सकती। अतः मेरा विनम्र अभिमत है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विस्तृत एवं विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते।

11. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

12. निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/10/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस
अपील संख्या आर टी ए/16/2017

उनवान

1. श्री घीसा पुत्र सुखदेव गुर्जर निवासी आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री बालू पिता श्रीराम गुर्जर निवासी आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती लादी पत्नी घीसा गुर्जर निवासी आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती अमरी पुत्री घीसा पत्नी भोमा गुर्जर निवासी भगवानपुरा उर्फ डोइ का खेड़ा पटवार मण्डल आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर, गुलाबपुरा के प्रकरण
संख्या 159/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2016

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/16/2017** मे **सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः अपीलार्थी अधिवक्ता श्री दिनेश तिवाड़ी एवं प्रत्यर्थी सं0 1से 3 के अधिवक्ता श्री मोहम्मद निसार अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 10.10.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर) 10/10/19
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15 TA / 16 / 2017 घीसा बनाम बालू

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

1/1/17

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा